रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 1971/फाल्गुन 6, 1892

No. 32] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 1971/PHALGUNA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February 1971

G.S.R. 296.—In pursuance of section 15 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby authorises the Lt. Governor, Delhi, to sanction prosecution of any offence or offences under clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the said Act relating to issue of passports by any of the authorities specified in column (2) in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs, No. G.S.R. 867 dated the 24th May, 1967, in respect of the Union territory of Delhi mentioned in the corresponding entry in Column (1) thereof.

[No. VI/401/4/71.]

S. KRISHNAMURTI, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1971

जी० एस० आर० 296.—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) की धारा 15 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार इसके द्वारा उप-राज्यपाल, दिल्ली, को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 867, दिनांक 24 मई, 1967 की अनुसूची के कालम (2) में बताए गए किसी भी प्राधिकारी द्वारा पासपोर्ट जारी करने से संबद्ध किसी अपराध या किन्हीं अपराधों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड के अन्तर्गत उक्त अनुसूची के कालम (1) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित संघ प्रदेश दिल्ली के बारे में, मुक्दमा चलाने की स्वीकृति का अधिकार देती है ।

[सं० VI/401/4/71]

एस० कृष्णामूर्ति, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971